।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 19.11.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 19.11.2025** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती अनुराधा गोगिया, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 05 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे	के.का.जयपुर	554/2025	30.10.2025	11.11.2025
सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र	के.का. श्रीगंगानगर	2823/2025	28.10.2025	12.11.2025
सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभुदयाल	के.का.अलवर	1429/2025	04.11.2025	12.11.2025
जगदीश चन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल	के.का.कोटा	200/2025	06.11.2025	14.11.2025
विनोद पुत्र मुरलीधर	के.का.जयपुर	284/2022	12.11.2025	17.11.2025

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. दण्डित बंदी विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे, केन्द्रीय कारागृह, जयपुरः-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. केसेज) जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 62/2017 अंतर्गत धारा 302,397 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट, 5/27 आयुध अधिनियम में दिनांक 17.06.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को बंदी खुला शिविर की बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 397 में 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 554/2025 विवेक बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 30.10.2025 से प्रतिपादित किया है कि " Taking into consideration the facts of the present case and also the report, which is placed on record, this Court is satisfied that the petitioner has made out a case for being shifted to Open Air Camp. Accordingly, the report of the Open Air Camp Committee is set aside and the petitioner shall been titled to be shifted to Open Air Camp as per the Scheme of the Rules of 1972 and necessary order in this regard shall be passed by the concerned Jail Authorities within a period of one month hence forth and a copy of this order be sent to the concerned Jail Authorities for the said purpose. In view of the above, the criminal writ petition is accordingly allowed" के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 09 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी जगदीश चन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल, केन्द्रीय कारागृह, कोटाः-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 01, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 अंतर्गत धारा 302/120बी,460/120बी,394/120बी आई.पी.सी. में

दिनांक 31.07.2019 (प्रभावी दिनांक 31.07.2020) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी प्रतिबंधित धारा 460, 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 200/2025 जगदीश चन्द बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 06.11.2025 से प्रतिपादित किया है कि " Keeping in view the proposition of law as laid down by the Division Bench of this Court at the Principal Seat, Jodhpur in the case of Kapil Gupta (supra), this Court finds no valid reason to take a different view. In view of the above, the instant petition stands allowed. Consequently, the impugned order qua the petitioner stands quashed and set aside. The respondents are directed to shift the petitioner from Central Jail, Kota to Open Air Camp, strictly in ac-cordance with law. Stay application and all application(s), pending if any, also stand disposed of" के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 12 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जगदीश चन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र, केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 अंतर्गत धारा 302/149,377/149,397/149,323/149,342 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 377 में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 28.10.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि " In the result, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 19.03.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remitted back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general ineligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order.With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of accordingly"

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी को प्रतिबंधित धारा 377 में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता अर्जित नही करता है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण संख्या 03/2016 अंतर्गत धारा 399,402 आई.पी.सी., 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन है। जिसमें बंदी की जमानत भी नही हुई है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभुदयाल, केन्द्रीय कारागृह :-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.03.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी, बंदी खुला शिविर से दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 तक फरारशुदा एवं बंदी को दिनांक 10.03.2024 को जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1429/2025 सतीश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 04.11.2025

से निर्णय प्रतिपादित किया कि " Considering the above, the instant criminal writ petition stands disposed of with the expectation from the authorities concerned to make all possible endeavours to decide the application, pending if any, expeditiously as early as possible preferably within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order. Pending applications, if any, also stand disposed of "

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी दिनांक 01.03.2025 को बंदी खुला शिविर से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 174/2025 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज कराया गया। फरारी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बंदी खुला शिविर अलवर से फरार होने के कारण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर द्वारा दिनांक 10.03.2025 को 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किये जाने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग)(छ) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु अपात्र है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग)(छ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभुदयाल** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी विनोद पुत्र मुरलीधर, केन्द्रीय कारागृह, जयपुरः-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक संख्या 02 जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2010 अंतर्गत धारा 302/34,460 आई.पी.सी. 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 04.11.2011 को आजीवन कारावास, अपर सैशन न्यायाधीश, शाहपुरा, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2013 अंतर्गत धारा 395,397/149 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.03.2017 को आजीवन कारावास एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 08 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 205/2018 अंतर्गत धारा 58ख(2) कारागार संशोधन अधिनियम 2015 आई.पी.सी. में दिनांक 22.11.2021 को 02 वर्ष 04 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 284/2022 विनोद बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 12.11.2025 से प्रतिपादित किया है कि " If such application is submitted by the petitioner within a period of 15 days from today, it is expected from the advisory committed to decide the said application stricly in ac-cordance with law, as early possible, preferably within a period of three months thereafter. with the aforesaid observation/direction, the instant criminal writ petition stands disposed of pending application if any also disposed of." के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 12 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। प्रकरण में अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी को प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु अपात्र है।

अत: उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी विनोद पुत्र मुरलीधर** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)				
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर